



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052021-227176
CG-DL-E-25052021-227176

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1874]
No. 1874]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 25, 2021/ज्येष्ठ 4, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 25, 2021/JYAISHTHA 4, 1943

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2021

का.आ. 2011(अ).—केंद्रीय सरकार, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त दूसरी अनुसूची में, “झारखंड” शीर्षक के सामने विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग संबंधी क्रम संख्या 36 के सामने स्तंभ 4 में, मद (iii) और (v) तथा संबंधित प्रविष्टियों के लिए क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

1	2	3	4
			“(iii) (क) 9 अक्तूबर, 2016 से 31 दिसम्बर, 2017 तक; और (ख) अगस्त, 2019 से अक्तूबर, 2020 तक- यदि उन छात्रों को प्रदान की गई हो जो इस अवधि के दौरान राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोड्डा से उत्तीर्ण होकर निकले हों और अपनी प्रशिक्षुता पूरी की हो। (v) 30 नवंबर 2017 से सितम्बर, 2020 तक – यदि उन छात्रों को प्रदान की गई हो जो इस अवधि के दौरान देवकी महावीर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से उत्तीर्ण होकर निकले हों और अपनी प्रशिक्षुता पूरी की हो।”

[फा. सं. आर-13040/126/2011-एचडी (तक.)]

पी. एन. रणजीत कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की दूसरी अनुसूची का प्रथम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 3496, तारीख 11 अक्टूबर, 1977, द्वारा किया गया था और अंतिम बार संशोधन का.आ. 1707(अ), तारीख 9 अप्रैल, 2021 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2021

S.O. 2011(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely : -

2. In the said Second Schedule, under the heading “JHARKHNAD”, against serial number 36 relating to Vinoba Bhave University, Hazaribag, in column 4, for item (iii) and (v) and entries relating thereto, the following shall respectively be substituted, namely :-

1	2	3	4
-	-	-	“(iii) (a) from 9th day of October, 2016 to 31st day of December, 2017; and (b) from August, 2019 to October, 2020— If granted to the students who have passed out and completed their internship during this period from the Government Homoeopathic Medical College & Hospital, Godda, (v) from 30th day of November, 2017 to September 2020— If granted to the students who have passed out and completed their internship during this period from the Devki Mahavir Homoeopathic Medical College.”.

[F. No. R-13040/126/2011-HD (Tech.)]

P. N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

Note : The Second Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) was first amended *vide* notification number S.O. 3496, dated the 11th October, 1977 and last amended *vide* notification number S.O. 1707 (E), dated the 9th April, 2021.